



## प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 145744/ 2808

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (सीहोर ), मध्यपुरदेश

स्कूल: BLUE BIRD SCHOOL

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

सत्र - 2022-23



## प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 145744/ 2808

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (सीहोर ), मध्यपुरदेश

स्कूल: BLUE BIRD SCHOOL

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

सत्र - 2022-23

मान्यता दिनांक - 23/04/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by

Date: 2022.04.23 12:25:19 +05:30

Reason: Issued By: deo sehore

प्रति,

### प्रबंधक (BLUE BIRD SCHOOL)

विषय :

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 21/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यव्हार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - BLUE BIRD SCHOOL डाइस कोड - 23330533125 स्कूल क्रमांक - PS 2808 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2 ) के उपबंधों का पालन करेंगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बँक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस के संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
  - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर ।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्ति/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आहेता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहेता प्राप्त करनी होगी
  - शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरद्ध रूप से बालकों को समाहित किया जाएगा
  - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपद्धति का अनुसरण करेगा

**PRINCIPAL**

**BLUE BIRD SCHOOL  
SEHORE (M.P.)**

**Secretary**

**Smt. Jamuna Devi Memorial  
Welfare Society, sehore**

- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

### स्कूल का विवरण

| स्कूल            | डाइस कोड        | शैक्षणि क सत्र | जिला  | क्षेत्र का प्रकार | विकास खण्ड(ब्लॉक) | ग्राम / वार्ड | पिन कोड | पुलिस थाना   | रेखांश             | अक्षांश       |
|------------------|-----------------|----------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|---------|--------------|--------------------|---------------|
| BLUE BIRD SCHOOL | 233305<br>33125 | 17             | सीहोर | शहरी              | SEHORE            | Ward No 07    | 466001  | थाना कोतवाली | 23.20<br>1385<br>9 | 77.086<br>992 |
| BLUE BIRD SCHOOL | 233305<br>33125 | 17             | सीहोर | शहरी              | SEHORE            | Ward No 07    | 466001  | थाना कोतवाली | 23.20<br>1385<br>9 | 77.086<br>992 |

### स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल प्रारंभ होने की तिथि 08/05/2000

क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है? हाँ

सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम **SMT JAMUNADEVI MEMORIAL WELFARE SOCIETY SEHORE**

सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक **7957/2000**

स्वामी का नाम

स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम **MR BASANT DASWANI**

पदनाम **CHAIRMAN**

मोबाइल **9425028737**

ई-मेल **bluebirdschool@gmail.com**

कार्यालय का पता **CHANKYAPURI SEHORE (M.P.)**

कार्यालय का दूरभाष **9425028737**

### स्कूल की प्रकृति

शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी

मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार सहशिक्षा

क्या स्कूल आवासीय है? नहीं

क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है? नहीं

क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने को प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नहीं

प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी

प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु **3**

स्कूल की अंतिम कक्षा आठवीं

क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं


क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? हाँ

प्राधिकारी का नाम **DEO SEHORE (M.P.)**

मान्यता क्रमांक **33216879**

डाइस कोड(DISE)

  
**PRINCIPAL**  
**BLUE BIRD SCHOOL**  
**SEHORE (M.P.)**

  
**Secretary**  
**Smt. Jamuna Devi Memorial Welfare Society, sehore**

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से नहीं

नि:शुल्क अथवा रिआयती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बलकों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

### स्कूल का क्षेत्रफल

| विवरण                                     | आवेदन में दर्ज |
|---|----------------|
| खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)     | 6445           |
| स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)     | 21917          |
| स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 15472          |
| स्कूल के भवन की स्थिति                    | किराए का भवन   |

### अधोसंरचना का विवरण

| विवरण  | संख्या | ओसत आकार(वर्ग फीट में) |
|--|--------|------------------------|
| T आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष              | 49     | 300                    |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 2      | 120                    |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 2      | 120                    |
| भोजनालय-सह-भण्डार                                  | 0      | 0                      |

### पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का विवरण

| विवरण | बोर्ड |
|-------|-------|
|-------|-------|

### स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण

| विवरण  | आवेदन में दर्ज        | फोटो |
|--|-----------------------|------|
| क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है          | हाँ                   |      |
| पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची             | हाँ                   |      |
| क्लू एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची           | हाँ                   |      |
| पुस्तकों की संख्या                               | 600                   |      |
| पत्रिकाएं/समाचार पत्र                            | 6                     |      |
| पेयजल सुविधा का प्रकार                           | Tube Well             |      |
| पेयजल सुविधा की संख्या                           | 8                     |      |
| शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)           | Both Indian & Western |      |
| लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या            | 15                    |      |
| लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या          | 15                    |      |
| विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या | 2                     |      |
| क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है             | हाँ                   |      |

### नामांकन एवं शुल्क का विवरण

कक्षा

कुल सीट

**PRINCIPAL**  
BLUE BIRD SCHOOL  
SEHORE (M.P.)

कुल नामांकित छात्र

स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें

वार्षिक शुल्क

**Secretary**

Smt. Jamuna Devi Memorial  
Welfare Society, sehore

# विद्यालय के प्राचार्य अथवा ट्रस्ट/सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण

## विवरण

हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है। हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा। हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरन्तरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वचन देता है। हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रषासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा। हाँ

विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा। हाँ

## मान्यता संबंधी दस्तावेज़

### विवरण

अपलोड है (हाँ / नहीं)

### स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

| कक्षा | विषय | पुस्तक | लेखक | आईएसबीएन | अधिकतम खुदरा नं. | मूल्य |
|-------|------|--------|------|----------|------------------|-------|
|       |      |        |      |          |                  |       |

### अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

| शिक्षक का नाम | पिता / पति का नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक अर्हता विषय सहित | व्यावसायिक अर्हता | अध्यापन अनुभव(महीनों में) | नियुक्ति दिनांक | कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं |
|---------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
|               |                   |          |                           |                   |                           |                 |                         |


### अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

ग्राम / वार्ड

पड़ोस का प्रकार

- लेखे सपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड अकाउंट द्वारा स्त्यपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 2808 एवं डाइस्कोड (DISE) 23330533125 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय -समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्त संलग्न उपाबंध “तीन” के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

  
**PRINCIPAL**  
**BLUE BIRD SCHOOL**  
**SEHORE (M.P.)**

  
**Secretary**  
**Smt. Jamuna Devi Memorial**  
**Welfare Society, sehore**



कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश  
(नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र)



क्रमांक/CERT10133/2024/642162

भोपाल, दिनांक : 04-06-2024

प्रति

BLU BIRD HIGH SCHOOL SINDHI COLONY SEHORE

विषय - मान्यता नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. 642162 दिनांक 12-04-2024 में प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिता शिक्षा अधिकारी जिता SEHORE के द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर नाम परिवर्तन किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

शाला का नाम: BLU BIRD HIGH SCHOOL SINDHI COLONY SEHORE

शाला का DISE कोड:

नवीन नाम: BLUE BIRD SCHOOL

- स्कूल उन्हीं कक्षाओं व संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है।
- संक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण - पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा।
- स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्हीं भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- स्कूल, कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्यायियों एवं कर्मचारियों के लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा। विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे।
- स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 'पालक-शिक्षक संघ' का गठन किया जावेगा।
- स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा।
- सम्प्रकारण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट, मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निर्लंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।
- यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्ट्या पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निर्लंबित करने की शक्ति होगी।
- कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी/ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह सम्बंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा।
- मान्यता के प्रत्याहरण होने पर, प्रस्तुत की गई सुरक्षा नियमों को पूर्णतः या अंशतः जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्प्रहत हो जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

*[Signature]*  
Secretary  
Smt. Jamuna Devi Memorial  
Welfare Society, sehore

*[Signature]*  
PRINCIPAL  
BLUE BIRD SCHOOL  
SEHORE (M.P.)

Signature valid  
Digitally Signed By ABHAY KUMAR KARN  
(PERSONAL)  
Date : 04-Jun-2024 12:47:02 IST

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,  
संभाग-भोपाल  
मध्यप्रदेश